(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन-निगरानी/रीवा/भू0रा0/4215/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-10-2017 - पारित व्दारा तहसीलदार, तहसील मनगवां, जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/2016-17

श्यामलाल पुत्र मनबहोर विश्वकर्मा
ग्राम बेलवा पैकान तहसील मनगवां
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- शिवप्रताप सिंह पुत्र श्रीपति सिंह साकिल
2- रामशरण सोंधिया पुत्र रामकिशोर सोंधिया
दोनों ग्राम बेलवा पैकान तहसील मनगवां
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 03 - 08-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार मनगवां जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/16-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक-2 ने अनावेदक क्रमांक 1 के हित में पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनॉक 16-6-2017 से ग्राम बेलवा पैकान स्थित खसरा नंबर 1675/3 रकबा 0.014 आरे भूमि विक्रय की, जिसके आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसीलदार मनगवॉ को नामान्तरण आवेदन दिनांक 29-6-17 प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार मनगवां ने प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/16-17 पॅजीबद्व किया। तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक ने इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि विक्रय पत्र में विक्रीत भूखंड की चर्तुदिशा गलत बताई गई है इसलिये नामान्तरण न किया जाय। तहसीलदार ने उभय पक्ष को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-2017 पारित किया तथा आवेदक की आपत्ति निरस्त कर दी। तहसीलदार मनगवां के इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/16-17 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक का आपत्ति आवेदन तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 18, 19 पर संलग्न है जिसके पद 3 में इस प्रकार अंकन है :-

" **यह कि उक्त विक्रय विलेख पर आ0नं0 1675/2 की चतुर सीमा लेख करायी गई है उक्त गलत चतुर सीमा उल्लेख होने के कारण आपत्तिकर्ता के द्वारा विक्रय विलेख को शून्य कराने के लिये माननीय सक्षम न्यायालय में सिविल वाद दायर किया जा रहा है। विक्रय विलेख गलत लेख होने के कारण नामान्तरण को रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है।** "

तहसील न्यायालय के प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे आवेदक की इस आपत्ति का पुष्टिकरण हो सके कि आवेदक ने विक्रय विलेख को शून्य कराने के लिये व्यवहार न्यायालय में सिविल वाद दायर किया है। तर्को के दौरान भी आवेदक के अभिभाषक ने 10 दिवस में तदाशय का अभिलेख प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया , किन्तु आदेश पारित करने के दिन तक ऐसा कोई अभिलेख आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके

कारण तहसीलदार मनगवां ने अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-2017 से आवेदक की आपत्ति निरस्त की हैं । विचार योग्य है कि क्या विक्रय पत्र पर आपत्ति कर देने से तहसीलदार को नामान्तरण कार्यवाही रोक देना चाहिये। नामान्तरण कार्यवाही केवल अभिलेख अद्धतन रखने की प्रक्रिया है । किसी भूमि पर पक्ष विशेष का नामान्तरण होने के आधार पर स्वत्व के विवाद का निराकरण नहीं होता है। स्वत्व के विवाद का निराकरण करने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है। जब विक्रय विलेख पॅजीकृत हो, तब राजस्व न्यायालय उसकी विधि मान्यता के बारे में जांच नहीं कर सकता। विक्रय पत्र के अनुसार नामांत्रण किया जायेगा। पीढ़ित पक्षकार के पास उपचार सिविल न्यायालय है। फलस्वरूप तहसीलदार मनगवां जिला रीवा ने अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-2017 से आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार मनगवां जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 43 अ-6/16-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17-10-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर